16

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 48 / 2020

रोहित धनकड, चतुर्थ फ्लोर, द लैंडमार्क, अहिंसा सर्किल, सी स्कीम, जयपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 27.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.08.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 48 / 2020 पर दिनांक 04.08.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 854–855 दिनांक 04.08.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1814 दिनांक 25.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 09.07.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ. 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 480 दिनांक 15.07.2020 तथा पुनः स्मरण पत्र कमांक एफ. 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 1748 दिनांक 19.08.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिडावा को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। साथ मे तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा के पत्रांक भू0अ0 / 2020 / 1249 दिनांक की छाया प्रति पेश की है जिसके अनुसार प्रार्थी को सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1814 दिनांक 25.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 09.07.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ. 16(4)(5)न्याय / न्याय / सू0अ0 / 09 / 480 दिनांक 15.07.2020 तथा पुनः स्मरण पत्र कमांक एफ. 16(4)(5)न्याय / सू0अ / 09 / 1748 दिनांक 19.08.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिडावा को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। साथ मे सलंग्न तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा के पत्रांक भू0अ0 / 2020 / 1249 दिनांक के अनुसार प्रार्थी को सूचना भिजवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/8/20

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू